

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 अप्रैल 2021—चैत्र 17, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2021

संशोधन

अधि. क्र. 07-एफ 1-175-2020-अठारह-3.—नगर परिषद शाहपुर, जिला बुरहानपुर के वार्ड का आरक्षण मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-2 क्रमांक 44 में अधिसूचना क्रमांक 320 एफ 1-175-2020-अठारह-3, दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना में प्रकाशित सरल क्रमांक 01 एवं 04 के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड क्रमांक 01, विवेकानन्द वार्ड के स्थान पर वार्ड क्रमांक 01 स्वामी विवेकानन्द वार्ड एवं सरल क्रमांक 03, के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड क्रमांक 07 महात्मा फुले वार्ड के स्थान पर वार्ड क्रमांक 07 महात्मा ज्योतिबा फुले वार्ड पढ़ा जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2021

क्र. 07-एफ 1-175-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 07 एफ 1-175-2020-अठारह-3 दिनांक 7 अप्रैल 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, Dated 7th April 2021

Not. No. 07 F-175-2020-XVIII-3.—For notification No. 320 F1-175-2020-XVIII-3, dated Gazette Part-2 No. 44, published in Hindi/English dated 28 October 2020 regarding the ward reservation of Municipal Council Shahpur. District Bhurhanpur, in Serial No. 01 and 04, the ward No. 01 reserved for scheduled caste. Vivekananda Ward shall be read as Swami Vivekananda Ward and in Serial No. 03 the Ward No. 07 reserved for other backward class Mahatma Phule Ward. shall be read as Mahatma Jyotiba Phule ward.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SHUBHASHISH BANERJEE. Dy. Secy.